



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272673
CG-DL-E-18052026-272673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 131]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

सं. 10/2026-27

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्टि 2ख [उद्भ्रम प्रमाणपत्र (तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में संशोधन के संबंध में।

फा.सं.01/89/180/109/एएम-25/पीसी-2(ए)/ई-45707— विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (भारत-यूके सीईटीए) के लिए उद्भ्रम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुमति प्राप्त प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को शामिल करते हुए एफटीपी के परिशिष्टि-2ख [उद्भ्रम प्रमाणपत्र (सीओओ) (तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

क्रम सं.	समझौते का नाम	प्राधिकृत एजेंसियां	प्रत्येक एजेंसी को निर्दिष्ट उत्पाद
20.	भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (भारत-यूके सीईटीए)	विदेश व्यापार महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय	सभी उत्पाद
		निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां	सभी उत्पाद
		कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	कृषि उत्पाद
		समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय	समुद्री उत्पाद
		केन्द्रीय सिल्क बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय	सिल्क उत्पाद
		कॉयर बोर्ड	कॉयर और कॉयर उत्पाद
		विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय कार्यालय	हस्तशिल्प
		मसाले बोर्ड	मसाले और काजू
		वस्त्र समिति और क्षेत्रीय कार्यालय	वस्त्र और परिधान
		तंबाकू बोर्ड	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
		कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद
		फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद
		कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	सूरत एसईजेड में स्थित इकाइयों और क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित सभी एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद
		एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद।
		नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद।
एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद।		
विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्रीय विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में स्थित एसईजेड एवं ईओयू में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद।		

2. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: यह सार्वजनिक सूचना भारत-यूके सीईटीए के तहत तरजीही उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को अधिसूचित करती है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th May, 2026

No. 10/2026-27

Subject: Amendment of Appendix 2B [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Preferential)] of Foreign Trade Policy, 2023-reg.

File No. 01/89/180/109/AM-25/PC-2(A) / E-45707— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby amends Appendix-2B [*List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (CoO) (Preferential)*] of the FTP by including the list of Authorised Agencies allowed to issue CoO for India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (India-UK CETA), as under:

S.No.	Name of the Agreement	Authorized Agencies	Product Assigned to each agency
20.	India-United Kingdom - Comprehensive Economic and Trade Agreement (India-UK CETA)	Directorate General of Foreign Trade and its regional offices	All products
		Export Inspection Council and Export Inspection Agencies	All products
		Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Agricultural Products
		Marine Products Export Development Authority and regional offices	Marine products
		Central Silk Board and regional offices	Silk products
		Coir Board	Coir and Coir products
		Development Commissioner, Handicraft and regional offices	Handicrafts
		Spices Board	Spices and Cashew nuts
		Textile Committee and regional offices	Textiles and Clothing
		Tobacco Board	Tobacco and Tobacco products
		Cochin Special Economic Zone,	All products by Units in SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner

	Falga Special Economic Zone	All products by Units in SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner
	Kandla Special Economic zone,	All products by Units in Surat SEZs and all SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner
	MEPZ Special Economic Zone	All products by Units in SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner
	NOIDA Special Economic Zone	All products by Units in SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner
	SEEPZ Special Economic Zone	All products by Units in SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner
	Vishakhapatnam Special Economic Zone	All products by Units in SEZs and EOUs located within the jurisdiction of the Zonal Development Commissioner

2. **Effect of the Public Notice:** The Public Notice notifies the list of authorised agencies permitted to issue Preferential Certificates of Origin under the India–UK CETA.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.